न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–108 / 2022

1. हरमिन्द्रसिंह पुत्र कुलवीरसिंह जाति कम्बोजसिख उम्र 27 वर्ष निवासी 4 के ए तसहील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

––– **प्रार्थी**

बनाम्

1. सुखविन्द्रकौर पत्नी मोहनसिंह जाति कम्बोजसिख उम्र वर्ष निवासी 4 के (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. उप पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––––**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अधिवक्ता–

1. श्री बलदेवसिंह एडवोकेट – प्रार्थी की और से
2. श्री गुरबख्शसिंह एडवोकेट – अप्रार्थी सं.–01 की ओर से

::निर्णय:: **दिनांक 23.01.23**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी सं.–01 के नाम से वाके चक 4 के तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–13 पत्थर नं.–198 / 52 का किला नं.–1 / 1 का 0.227, 1 / 2 का 0.026 खाला, 2 / 1 का 0.176, 2 / 5 का 0.025,10 का 0.253 कुल 0.707 हैक्टर अनकमाण्ड मय खाला कृषि भूमि को आयंदा प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जाऐगा। अप्रार्थी सं.–01 प्रार्थी की दादी है अर्थात प्रार्थी अप्रार्थी सं.–01 के पुत्र कुलवीरसिंह का पुत्र व अप्रार्थी सं.–01 का पौत्र है प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–01 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है वर्तमान मे विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पड़दादा बिशनसिंह एवं पड़दादी बसंतकौर के नाम से चक 3 एस एन एम तहसील हनुमानगढ में स्थित पैतृक कृषि भूमि थी जो प्रार्थी के पडदादा पडदादी के नाम की चक 3 एस एन एम की उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि को बैचान कर उसमें प्राप्त प्रतिफल राशि से विवादित जमीन प्रार्थी की दादी यानि अप्रार्थी सं.–1 के नाम के नाम से खरीद की गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज है इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 की स्वयंअर्जित सम्पति नही है बल्कि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित सम्पति यानि प्रार्थी की पैतृक व सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हित निहित है फलस्वरूप प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का सहदायिकी भूमि में प्रार्थी के जन्मसिद्व हिस्सा के समस्त हक अधिकार [illegible] एवं स्वामित्व प्रार्थी में निहित हो चुके है। प्रार्थी जो कि अप्रार्थी सं.–01 के पुत्र कुलवीरसिंह का पुत्र यानि अप्रार्थी सं.–01 का पौत्र है तथा अप्रार्थी सं.–1 ने पारिवारिक व्यवस्था [illegible] हुए पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत अपने नाम की विवादित भूमि प्रार्थी को प्रदान कर दी थी जो प्रार्थी के अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है तत्पश्चात प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.–01 को कई बार कहा कि विवादित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति है जिसमें प्रार्थी का जन्म सिद्ध अधिकार है तथा अप्रार्थी सं.–1 द्वारा पारिवारिक समझौता के तहत विवादित कृषि भूमि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.02 15:44:20 IST
Reason: SelfAttested

के नाम से अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा देवें ताकि प्रार्थी विवादित भूमि प्रार्थी के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हो सके तो अप्रार्थी सं.–01 शीध्र ही ऐसा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल करती रही है। तथा अपने नाम की उक्त विवादित भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन बेचान कर खुर्द बुर्द कर देगी। अगर ऐसा करने में अप्रार्थी सं.–01 कामयाब हो गई तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पूर्ति मुद्रा की एवज में नहीं की जा सकेगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं.–1 की तरफ से अधिवक्ता श्री गुरबख्शसिंह ने वकालत नामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि चक 4 के ए तहसील, अनूपगढ का मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं.–198/52 का किला नं.–1/1 का 0.226,1/2का 0.026 खाला, 2/1 का 0.176, 2/5 का 0.025 खाला, 10 का 0.253 कुल 0.707 हैक्टर अनकमाण्ड मय खाला भूमि मन अप्रार्थी सं.–01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है जो रिकॉर्ड का तथ्य है जो किसी प्रकार से विवादित नही है। अप्रार्थी सं.–01 प्रार्थी की हकीकी दादी नही है बल्कि वास्तवकिता यह है कि मन अप्रार्थी के पति व प्रार्थी के दादा मोहनसिंह पुत्र किशनसिंह ने अपने जीवनकाल में दो शादियॉ की थी स्व. मोहनसिंह की प्रथम शादी किशनकौर के साथ हुई थी किशनकौर के स्व. मोहनसिंह के नुत्फ से प्रार्थी का पिता कुलवीरसिंह पैदा हुआ था तत्पश्चात स्व. मोहनसिंह की प्रथम पत्नी का देहान्त हो गया जिसके देहान्त उपरांत स्व. मोहनसिंह ने मन अप्रार्थी के साथ दूसरी शादी की थी उस समय प्रार्थी के पिता कुलवीरसिंह की आयु करीब 11–12 वर्ष की थी इस प्रकार प्रार्थी का पिता कुलवीरसिंह मन अप्रार्थी व स्व. मोहनसिंह के नुत्फ से उत्पन्न संतान नही है और ना ही प्रार्थी मन अप्रार्थी का हकीकी पोता है इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–1 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य नही है और ना ही प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण का संयुक्त परिवार है बल्कि प्रार्थी शादीशुदा है और अपने स्वयं के परिवार के साथ काफी अरसा से ही मन अप्रार्थी से अलग निवास करता है। प्रार्थी के पडदादा बिशनसिंह एवं पडदादी बसंतकौर के नाम से चक 3 एसएनएम तहसील हनुमानगढ की पैतृक कृषि भूमि को बेचान कर उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से विवादित कृषि भूमि मन अप्रार्थी सं.–01 के नाम से खरीद की गई थी सर्वथा असत्य है एवं अस्वीकार है चक 3 एस एन एम तहसील हनुमानगढ़ की किसी कृषि भूमि को बेचान कर उक्त प्रश्नगत भूमि खरीद नही की गई थी ना ही प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज सबूत ही प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित भूमि उक्त पैतृक सम्पति को बैचान कर व उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से खरीद की गई हो बल्कि मन अप्रार्थी सं.–1 के द्वारा अपनी स्वयं की थोड़ी थोड़ी सिचिंत कर निजि व जमापूंजी राशि से व अपने भाईयों चरणसिंह पुत्र बंतासिंह व कर्मसिंह पुत्र बंतासिंह के आर्थिक सहयोग से प्रश्नगत भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक–19.08.1996 के द्वारा प्रतिफल की ऐवज में खरीद की गई है। मन अप्रार्थी सं.–01 उक्त कृषि भूमि की खातेदार कृषक है इस प्रकार प्रश्नगत भूमि मन अप्रार्थी सं.–01 की स्वयंअर्जित खातेदारी कृषि भूमि है जो किसी भी प्रकार से संयुक्त हिन्दुखानदान की अविभाजित सम्पति नही है और ना ही प्रार्थी की सहदायिकी सम्पति है और ना ही मन अप्रार्थी सं.–01 के जीवनकाल में प्रार्थी का उक्त प्रश्नगत भूमि मे किसी प्रकार से हित निहित है। प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध मे अप्रार्थी सं.–01 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त है इस धारा के अनुसार हिन्दू नारी को अपने कब्जा में की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसिमित स्वामी के तौर पर धारित की जाऐगी। अप्रार्थी सं.–01 के [illegible] किसी मन अप्रार्थी सं.–01 के किसी भी वारिस का कोई हक अधिकार प्रश्नगत भूमि [illegible] नही बनता है मन अप्रार्थी सं.–01 उक्त कृषि भूमि को अपने जीवनकाल में [illegible] की हर प्रकार की विधिक अधिकारी है इन अधिकारों को उसके जीवनकाल [illegible] किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से वंचित नही किया जा सकता। कुलवीरसिंह मन अप्रार्थी सं.–01 का प्राकृतिक पुत्र नही था, बल्कि कुलवीरसिंह मोहनसिंह व उसकी प्रथम पत्नी किशनकौर से उत्पन्न संतान थी इसलिए मन अप्रार्थी सं.–01 के नाम की प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी का कोई हित निहित नही है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही बल्कि सच्चाई यह है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.02 15:44:20 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

प्रश्नगत भूमि मन अप्रार्थी सं.–01 की जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक–19.08.1996 खरीदशुदा व स्वयं अर्जित खातेदारी कृषि भूमि है जो खरीद के रोज से ही मन अप्रार्थी सं.–01 के निरन्तर अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है मन अप्रार्थी सं.–01 द्वारा किसी भी प्रकार से प्रश्नगत कृषि भूमि कथित पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत बांट कर प्रार्थी को प्रदत नही की और ना ही प्रश्नगत भूमि के किसी भू भाग पर प्रार्थी का कब्जा है बल्कि उक्त समस्त प्रश्नगत भूमि पर शुरू से लेकर आज रोज तक मन अप्रार्थी सं.–01 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का प्रश्नगत कृषि भूमि पर अप्रार्थी के जीवनकाल मे कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थी सं.–01 शारिरिक रूप से स्वस्थचित है जो किसी प्रकार से किसी के प्रभाव में नही है बल्कि प्रार्थी स्वयं झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है जो मन अप्रार्थी सं.–01 के जीवनकाल में मन अप्रार्थी सं.–1 की स्वयं अर्जित खातेदारी कृषि भूमि को हड़पने के प्रयासरत है जिसका वह कतई विधिक अधिकारी नही है। चूंकि अप्रार्थी सं.–1 प्रश्नगत भूमि की खातेदार काश्तकार है और प्रश्नगत भूमि का उपयोग उपभोग करने की विधिक अधिकारी है। प्रार्थी को मन अप्रार्थी सं.–01 के विरूद्ध कोई वाद कारण प्राप्त नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है।

अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि की खातेदार कृषक है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में अप्रार्थी सं.–1 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त है इस धारा के अनुसार हिन्दू नारी को अपने कब्जा मे की कोई भी सम्पति चाहे वह इस अधिनियम के प्रावधान से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसिमित स्वामी के तौर पर धारित की जाऐगी। मन अप्रार्थी सं. –01 के जीवनकाल में अप्रार्थी सं.–01 के किसी भी वारिस का कोई हक अधिकार प्रश्नगत भूमि में नही बनता है। अप्रार्थी सं.–1 उक्त कृषि भूमि को अपने जीवनकाल में उपयोग उपभोग करने की हर प्रकार की विधिक अधिकारी हे इन अधिकारों उसके जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से वंचित नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का वाद पत्र व प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थी के पति व प्रार्थी के दादा मोहनसिंह पुत्र किशनसिंह ने अपने जीवनकाल में दो शादियॉ की थी स्व. मोहनसिंह की प्रथम शादी किशनकौर के साथ हुई थी किशनकौर के स्व. मोहनसिंह के नुत्फ से प्रार्थी का पिता कुलवीरसिंह पैदा हुआ था तत्पश्चात स्व. मोहनसिंह की प्रथम पत्नी का देहांत हो गया जिसके देहांत उपरांत स्व. मोहनसिंह ने मन अप्रार्थी के साथ दुसरी शादी की थी उस समय प्रार्थी के पिता कुलवीरसिंह की आयु करीब 11–12 वर्ष की थी इस प्रकार प्रार्थी का पिता कुलवीरसिंह मन अप्रार्थी व स्व. मोहनसिंह के नुत्फ से उत्पन्न संतान नही है और ना ही प्रार्थी मन अप्रार्थी का हकीकी पोता है ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी का कोई हित निहित नही बनता है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं.–01 प्रार्थी की दादी है अप्रार्थी सं. –01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है, जो रिकॉर्ड का तथ्य है जो किसी प्रकार से विवादित नही है। अप्रार्थी सं.–01 प्रार्थी की हकीकी दादी नही है बल्कि वास्तवकिता यह है कि मन अप्रार्थी के पति व प्रार्थी के दादा मोहनसिंह पुत्र किशनसिंह ने अपने जीवनकाल में दो शादिया की थी स्व. मोहनसिंह की प्रथम शादी किशनकौर के साथ हुई थी किशनकौर के स्व. मोहनसिंह के नुत्फ से प्रार्थी का पिता कुलवीरसिंह पैदा हुआ था तत्पश्चात स्व. मोहनसिंह की प्रथम पत्नी का देहान्त हो गया जिसके देहान्त उपरांत स्व. मोहनसिंह ने मन अप्रार्थी के साथ दूसरी शादी की थी उस समय प्रार्थी के पिता कुलवीरसिंह की आयु करीब 11–12 वर्ष की थी इस प्रकार प्रार्थी का पिता कुलवीरसिंह मन अप्रार्थी व स्व. मोहनसिंह के नुत्फ से उत्पन्न संतान नही है और ना ही प्रार्थी मन अप्रार्थी का हकीकी पोता है इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–1 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य नही है और ना ही प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण का संयुक्त परिवार है बल्कि प्रार्थी शादीशुदा है और अपने स्वयं के परिवार के साथ काफी अरसा से ही मन अप्रार्थी से अलग निवास करता है। प्रार्थी के पड़दादा बिशनसिंह एवं पड़दादी बसंतकौर के नाम से चक 3 एसएनएम तहसील हनुमानगढ की पैतृक कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.02 15:44:20 IST
Reason: SelfAttested

को बेचान कर उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से विवादित कृषि भूमि मन अप्रार्थी सं.–01 के नाम से खरीद की गई थी सर्वथा असत्य है एवं अस्वीकार है। चक 3 एस एन एम तहसील हनुमानगढ़ की किसी कृषि भूमि को बेचान कर उक्त प्रश्नगत भूमि खरीद नही की गई थी ना ही प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज सबूत ही प्रस्तुत किया गया है। पैतृक व सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हित निहित हैं तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी मौखिक बहस में मुख्य रूप से अपने जवाब प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि चक 4 के ए तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं.–198/52 का किला नं.–1/1 का 0.226,1/2 का 0.026 खाला, 2/1 का 0.176 , 2/5 का 0.025 खाला, 10 का 0.253 कुल 0.707 हैक्टर अनकमाण्ड मय खाला भूमि मन अप्रार्थी सं.–01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है जो किसी प्रकार से विवादित नही है। अप्रार्थी सं.–01 प्रार्थी की हकीकी दादी नही है अप्रार्थी के पति व प्रार्थी के दादा मोहनसिंह पुत्र किशनसिंह ने अपने जीवनकाल में दो शादिया की थी स्व. मोहनसिंह की प्रथम शादी किशनकौर के साथ हुई थी। किशनकौर के स्व. मोहनसिंह के नुत्फ से प्रार्थी का पिता कुलवीरसिंह पैदा हुआ था तत्पश्चात स्व. मोहनसिंह की प्रथम पत्नी का देहान्त हो गया जिसके देहान्त उपरांत स्व.मोहनसिंह ने मन अप्रार्थी के साथ दुसरी शादी की थी उस समय प्रार्थी के पिता कुलवीरसिंह की आयु करीब 11–12 वर्ष की थी इस प्रकार प्रार्थी का पिता कुलवीरसिंह मन अप्रार्थी व स्व. मोहनसिंह के नुत्फ से उत्पन्न संतान नही है और ना ही प्रार्थी मन अप्रार्थी का हकीकी पोता है प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–1 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य नही है और ना ही प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण का संयुक्त परिवार है। प्रार्थी के पडदादा बिशनसिंह एवं पडदादी बसंतकौर के नाम से चक 3 एसएनएम तहसील हनुमानगढ की पैतृक कृषि भूमि को बेचान कर उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से विवादित कृषि भूमि मन अप्रार्थी सं.–01 के नाम से खरीद की गई थी सर्वथा असत्य है एवं अस्वीकार है अतः प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

धारा 212 आर.टी.ए. के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

1. **<u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u>**:–प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं.–01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज है जिसका राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली मे उपलब्ध है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी के पड़दादा के नाम की चक 3 एस एन एम की उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि को बैचान कर उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से विवादित जमीन प्रार्थी की दादी यानि अप्रार्थी सं.–01 के नाम से खरीद की गई थी और पारिवारिक समझौता के तहत उक्त विवादित भूमि प्रार्थी को प्रदत की गई हालांकि प्रार्थी के द्वारा पारिवारिक समझौता के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया ना ही कोई कानूनी सबूत प्रार्थी [illegible]र्थना पत्र के साथ पेश किया है जिससे स्पष्ट हो कि उक्त विवा[illegible] के बैचान कर खरीद की गई हो। मूल वाद में दोनों पक्षों के साक्ष्य आने के उप[illegible] ही उक्त बिन्दू को तय किया जा सकता है विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह तर्क दि[illegible] कि विवादित भूमि प्रार्थीया की जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा है। विवादित कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा है अप्रार्थी सं.–1 वास्तविक खातेदार होने के कारण उसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Tatania
Date: 2023.03.02 15:44:20 IST
Reason: SelfAttested

की जा सकती। फलतः अप्रार्थी सं.–01 प्रश्नगत भूमि का रिकॉर्डेड टिनेन्ट है उक्त विवादित कृषि भूमि प्रथम दृष्टया जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीद शुदा है तथा कानूनन अप्रार्थी संख्या 01 विवादित भूमि की वास्तविक स्वामी है। ऐसी स्थिति प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सिद्ध करने में असफल रहा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

2. सुविधा का संतुलनः– जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया, जिससे उनके प्रकरण को बल मिलता हो। विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

3. अपूर्णीय क्षतिः– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं.–01 के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनो बिन्दू साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **23.01.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.02 15:44:20 IST
Reason: SelfAttested